राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 682/2020

1. जितेंद्र राठौर पुत्र श्री भवानी सिंह राठौर, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान नंबर 441/51, बालाजी मंदिर के पास, लोहागले रोड, फ्लीखान, जिला अजमेर (राजस्थान)।

2. सीमा मीणा पुत्री राम खिलाड़ी मीणा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ बड़ा बुजुर्ग, तहसील महवा जिला। दौसा (राजस्थान)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, सरकार राजस्थान सरकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राजस्थान)।

4. श्री सचिन मित्तल, पुलिस महानिरीक्षक रेंज - जोधपुर रेंज (राजस्थान)।

5. मुकेश चौधरी पुत्र श्री रूपा राम चौधरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट रिहिदी, तहसील परबतसर, जिला कांगड़ा नागौर (राजस्थान)।

6. विष्णु दत्त पुत्र ओम प्रकाश विश्नोई, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 54, एलपीएन, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

7. दीन दयाल उदवारिया पुत्र श्री धौरा राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम जैता की ढाणी, पोस्ट सोला, तहसील खंडेला, जिला। सीकर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

<u>से संबद्ध</u>

1. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 671/2020

धर्मेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्री हजारी लाल मीणा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट डोलिका, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, गृह सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती), राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, राजस्थान अजमेर, के माध्यम से।

---- प्रत्यर्थीगण

2. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 681/2020

बाबू लाल चौधरी पुत्र पेमा राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 03, इंद्र बाबा की बागीची, सुजानगढ़, जिला चूरू, राजस्थान के पास।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

3. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 695/2020

सत्येंद्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, तक्षशिला स्कूल के पीछे, वार्ड नंबर 10, 10, शिक्षक कॉलोनी, तहसील बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, सरकार राजस्थान सरकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राजस्थान)।

4. श्री सचिन मित्तल, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज- जोधपुर रेंज (राजस्थान)

----प्रत्यर्थीगण

4. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 697/2020

रवि कुमार मीणा पुत्र प्रहलाद मीणा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ मान्यपुरा, पोस्ट ढोलखेड़ा, तहसील महवा जिला दौसा, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान जयपुर के माध्यम से। से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

5. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 698/2020

जगदीश प्रसाद जाट पुत्र श्री नंद लाल जाट, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।

3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर रोड, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

6. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 700/2020

भंवर लाल पुत्र ओम प्रकाश उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी रामेश्वर जी गिला, पेट्रोल पंप के पास, एनएच 89, वीपीओ अलय, तहसील और जिला नागौर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

7. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 702/2020

1. विश्वास सिनसिनवार पुत्र श्री यदुवीर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी जागीना गेट, गोपालगढ़, जिला विश्वाससिंह। भरतपुर (राजस्थान)।

2. खगेन्द्र कुमार सांवरिया पुत्र श्री अमर चंद, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मिग फिएट, ब्लॉक नंबर ए, सेक्टर-7, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला का अलवर (राजस्थान)।

3. लेखराज मीणा पुत्र श्री नाथू लाल मीणा, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गांव गढ़ की कोठी, पोस्ट गढ़, तहसील बस्सी, जिला बस्सी, जयपुर (राजस्थान)।

4. कैलाश चन्द यादव पुत्र जगरमल यादव, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम पुंछलावली, पोस्ट नीम का थाना, जिला पुंछलावली, सीकर (राजस्थान)।

5. दीपक कुमार शर्मा पुत्र रवि कुमार शर्मा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी खेरली रेल ग्रामीण, कठूमर, जिला कठौमर, अलवर (राजस्थान)।

6. मौर कंवर निवासी श्री उमेद सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम सिंधरा, तहसील भीनमाल, जिला मथुरा, जालोर (राजस्थान)।

7. माता दीन मीणा पुत्र हरगोविंद मीणा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी गांव भोपन की ढाणी, पोस्ट और तहसील बसवा, जिला बसवा, दौसा (राजस्थान)।

8. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव लदिया, पोस्ट चीपलाटा, तहसील नीम का थाना, जिला नृंगारसिंह, सीकर (राजस्थान)।

9. कन्हैया लाल वैष्णव पुत्र जगदीश लाल वैष्णव, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट काराकला, तहसील सलम्बर, जिला कात्या, उदयपुर (राजस्थान)।

10. कुंदन पुत्र श्री भगवान राम, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी 70 आनंद विहार, नागल रोड, झोथवाड़ा, जिला कुंदन, जयपुर (राजस्थान)।

11. शाहरुख खान पुत्र श्री गुलशेर अहमद, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी रेस्ट हाउस के पास, वार्ड नंबर 9, अनूपगढ़, जिला शाहरुख, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

12. मुकेश सिंह भाटे पुत्र विजय सिंह भाटी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम बोथियावास, पोस्ट अबासर तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।

13. रणवीर सिंह पुत्र अक्षय सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम श्यामपुरा, पोस्ट पूनिया का बास, वाया बिसाऊ, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

14. योगेंद्र कुमार धवल पुत्र संतोष कुमार धवल उम्र लगभग 31 वर्ष ग्राम पंचायत शिव बाड़ी, बीकानेर (राजस्थान) के पीछे।

15. जगदीश नारायण चौधरी पुत्र रतन लाल चौधरी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा बास गोनेर, पोस्ट बड़ापदमपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, सरकार राजस्थान सरकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राजस्थान)।

4. श्री सचिन मित्तल, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज- जोधपुर (राजस्थान)।

5. भोमा राम पुत्र धुरा राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 38 मील, गांव और पोस्ट ढाढनिया सासन, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

8. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 726/2020

रामफूल गुर्जर पुत्र श्री नाथू राम गुर्जर, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी झिरी का देवरा, पोस्ट झिरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर राजस्थान।

3. पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती), पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर राजस्थान।

4. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान अपने सचिव के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

9. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 728/2020

यशपाल गहनोलिया पुत्र ओमप्रकाश गहनोलिया, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ भैसलाना, वाया जोबनेर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सचिव आयोग, अपनी सेवा के माध्यम से, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

10. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 731/2020

नवरत्न जाट पुत्र रामेश्वर लाल चौधरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गुजरान मोहल्ला, अदरवा, तहसील दूदू, थाना नारायणा, जयपुर, राजस्थान।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

11. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 757/2020

रुकमणि पुत्री भंवर लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सालासर रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर सी-186 ए, भूरा पटेल मार्ग, अयोध्या नगर, जयपुर, राजस्थान।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के

माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

12. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 768/2020

कविता जग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल जगरवाल उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी बी-14, देव नारायण कॉलोनी, वार्ड नंबर 21, चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

13. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 779/2020

राजेश कुमार पुत्र मदन लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रुदारी, पोस्ट हटियाना, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

14. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 785/2020

1. सत्य नारायण मीणा पुत्र शिव राम मीणा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ रावजना चौर, तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

2. राजेन्द्र प्रसाद मीणा पुत्र हरकेश मीणा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम परमा की ढाणी, पोस्ट ककराला, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

3. रामराज चौधरी पुत्र लक्ष्मण लाल चौधरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी जखाडो की ढाणी, कटसूरा, मदनगंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।

4. प्रधान कुरी पुत्र गोपाल लाल कुरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा, पोस्ट धासुक, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

15. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 788/2020

रंजना मटोलिया पुत्र श्री श्याम सुंदर शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड नं 22, चिरावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, भारत सरकार के माध्यम से। राजस्थान, सरकारी सचिवालय, जयपुर

2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।

3. पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती), राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।

4. राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर, अपने सचिव, जयपुर रोड, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

16. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 797/2020

मनोहर नायक पुत्र नारायण लाल नायक, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी पोस्ट मुंगाना, तहसील धरियावाध, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

17. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 798/2020

सीता कुमारी जाट पुत्र शंकर लाल जाट, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम सरोपा, पोस्ट लांगुच, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान के महानिदेशक, पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

18. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 811/2020

वीरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बरसिंहपुरा, वाया पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

19. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 830/2020

हरि राम पुत्र राजा राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 1 जीडीएसएम गोविंदसर, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक , पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

20. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 838/2020

रवि प्रकाश मील पुत्र सुग्रीव सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वीपीओ भोजासर, झुंझुनू, वर्तमान में कमरा नंबर 33, जेसी बोस हॉस्टल, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान में रहता है।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. आरपीएससी-राज्य, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

21. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 852/2020

मोहन लाल यादव पुत्र इंदेराजमल यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ढाणी खाती वाला, डाक मनकारी, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

22. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 879/2020

प्रशांत डागुर पुत्र धनवीर सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम न्यामतपुर, हातिजार, तहसील वीर, जिला भरतपुर, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

गुमान राम मुंडेल पुत्र श्री गणपत मुंडेल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम मारवाड़ मूंडवा, इनाना, जिला नागौर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री विज्ञान शाह के साथ श्री अक्षित गुप्ता और श्री हरेंद्र नील श्री पूनम चंद शर्मा श्री हनुमान चौधरी के साथ श्री तरुण चौधरी श्री एसएल शर्मा श्री पदम सिंह गुर्जर श्री अरविंद कुमार अरोड़ा
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एमएफ बेग के साथ श्री गोविंद गुप्ता डॉ. वी. बी. शर्मा, एएजी श्री प्रखर गुप्ता के साथ, वीसी के माध्यम से।

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा

<u>निर्णय</u>

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 25/08/2021

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 20/09/2021

<u>न्यायालय द्वारा:</u> (माननीय शर्मा, जे. के अनुसार)

रिपोर्टेबल

1. ये विशेष अपील (रिट) दिनांक 3-9-2020 के आदेश के विरूद्ध दायर की गई हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (इसके बाद '1989 के नियम') के तहत उप निरीक्षक की भर्ती प्रक्रिया में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के परिणाम को चुनौती देने वाली वर्तमान अपीलार्थीगण और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अपास्त कर दिया गया है।

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 5-10-2016 के एक विज्ञापन के अनुसार 1989 के नियमों के तहत उप निरीक्षक के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। भर्ती की योजना के अनुसार प्रत्येक पेपर में 36% और लिखित परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया गया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपीलार्थीगण ने पीईटी में भाग लिया। पीईटी का परिणाम 8-1-2020 को घोषित किया गया था, जिसमें सभी अपीलार्थीगण को असफल घोषित किया गया था। अपीलार्थीगण और अन्य ने रिट याचिकाओं के माध्यम से पीईटी के परिणाम को चुनौती दी। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, उन्हें साक्षात्कार के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी गई थी, लेकिन अंततः, उनकी रिट याचिकाओं को आक्षेपित आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध ये विशेष अपील दायर की गई हैं।

3. अपीलार्थीगण के अनुरोध पर, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक न्यायालय द्वारा प्राप्त किए गए थे। ऐसे उम्मीदवारों की अपील, जो कट ऑफ अंक से ऊपर प्राप्त नहीं कर सके, को यह कहते हुए अपास्त कर दिया गया कि वे निरर्थक हो गए हैं। ऐसे अपीलार्थीगण की शेष अपीलें, जो पीईटी अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन कट ऑफ अंक से ऊपर प्राप्त हुए, पर सुनवाई की गई और इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीईटी के समय, उन्हें सूचित किया गया था कि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन बाद में उन्हें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से केवल उन उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए असफल घोषित किया गया जो पहले से ही पुलिस विभाग में सेवारत थे।

6. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण की उपरोक्त दलील निराधार है और तदनुसार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

7. उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि संबंधित नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उम्मीदवारों को पीईटी के समय परिणाम के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा। पीईटी का आयोजन बोर्ड का गठन करके किया गया था जिसमें उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल थे। पीईटी के लिए उत्तीर्ण कुल 9259 उम्मीदवारों में से केवल 1926 उम्मीदवार पीईटी में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त कर सके। पुलिस विभाग में पहले से सेवारत उम्मीदवारों को भी असफल घोषित कर दिया गया था और पुलिस विभाग में सेवा करने के अलावा कई उम्मीदवार पीईटी में सफल रहे हैं। इस बारे में कोई विशिष्ट घोषणा नहीं की गई है कि पुलिस विभाग में सेवारत विशेष उम्मीदवार (उम्मीदवारों) का पक्ष किसने लिया। इस प्रकार, पुलिस विभाग के सेवारत कर्मचारियों का पक्ष लेने का आरोप काफी काल्पनिक और निराधार है। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो अपीलार्थीगण की तुलना में लिखित परीक्षा में और भी अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य सभी असफल उम्मीदवार भी इसी तरह का दावा करेंगे और कोई भी भर्ती अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगी। तदनुसार, अपीलार्थीगण की दलील बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

8. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि ओलंपिक खेलों और इसी तरह के अन्य परीक्षणों में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो चिप्स का उपयोग किया जाता है। पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में पहले के अवसर पर, प्रत्यर्थीगण ने इस उद्देश्य के लिए माइक्रो चिप्स का भी उपयोग किया था, लेकिन इस बार माइक्रो चिप के बजाय, स्टॉप वॉच का उपयोग किया गया है जिसके द्वारा सटीकता का पालन नहीं किया जा सकता है, इसलिए, पूरे पीईटी को रद्द किया जाना चाहिए या अपीलार्थीगण को पीईटी के लिए एक और मौका प्रदान किया जाना चाहिए।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पीईटी में सभी उम्मीदवारों के लिए स्टॉप वॉच का उपयोग किया गया था। अपीलार्थीगण के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। वे सभी स्टॉप वॉच का उपयोग करने के बारे में जानते थे, लेकिन

लेकिन उन्होंने पीईटी के समय इस पर आपत्ति नहीं की, इसलिए, पीईटी में असफल घोषित घोषित होने के बाद उन्हें अब आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. यह सच है कि पीईटी में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो चिप बेहतर तकनीक हो सकती है, लेकिन माना जाता है कि प्रत्यर्थीगण ने पीईटी में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए स्टॉप वॉच का उपयोग किया है। किसी भी अपीलार्थी ने स्टॉप वॉच के उपयोग पर आपत्ति नहीं जताई है। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। एक व्यक्ति जिसे सिस्टम में कोई भरोसा या विश्वास नहीं है, वह माइक्रो चिप के उपयोग के बारे में भी संदेह उठाएगा, जिससे एक अंतहीन प्रक्रिया होगी, इसलिए, केवल माइक्रो चिप के बजाय स्टॉप वॉच के उपयोग के आधार पर, पूरी प्रक्रिया को फेंक नहीं दिया जा सकता है।

11. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थीगण ने परीक्षण की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वयं पीईटी की वीडियोग्राफी की। अपीलार्थीगण की दलील को वीडियोग्राफी से बहुत अच्छी तरह से सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन विद्वान एकलपीठ द्वारा इसकी जांच नहीं की गई थी। इसलिए, उनके तर्क को सत्यापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष वीडियोग्राफी मंगाने का अनुरोध किया गया है।

12. प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वीडियोग्राफी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की गई थी, अर्थात (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी किसी विशेष उम्मीदवार का पक्ष नहीं लेंगे, (ii) प्रतिरूपण से बचने के लिए, और (iii) कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है; और पीईटी की गतिविधियों में उम्मीदवारों द्वारा लिए गए समय का आकलन करने के लिए नहीं। तथापि, वीडियोग्राफी के माध्यम से अभ्यथयों की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और अपीलार्थीगण को आवंटित अंकों में कोई असंगति नहीं पाई गई थी।

13. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें पीईटी के परीक्षण परीक्षण उत्तीर्ण करने के समय सूचित किया गया था, निराधार पाया गया है। पीईटी की वीडियोग्राफी उम्मीदवारों द्वारा चल रही गतिविधि में लगने वाले समय का आकलन या

सत्यापन करने के लिए नहीं की गई है। पारदर्शिता बनाए रखने और प्रतिरूपण और पक्षपात पक्षपात पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए, वीडियोग्राफी आयोजित की गई थी। असफल उम्मीदवारों से प्राप्त शिकायतों पर, उम्मीदवारों की शिकायतों पर विचार करने के लिए पुलिस पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर (अध्यक्ष), पुलिस अधीक्षक (भर्ती और पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर (सदस्य) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कानूनी पुलिस मुख्यालय, जयपुर (सदस्य) की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा सत्यापन के पश्चात् पीईटी में अंक प्रदान करने में कोई असंगति नहीं पाई गई। शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि दौड़ गतिविधियों में लगने वाले वाले सटीक समय का पता वीडियोग्राफी से नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में वीडियोग्राफी को न्यायालय में लाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

14. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि अपीलार्थीगण ने कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उन्हें पीईटी अर्हता प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राजेश कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2020 की सिविल अपील संख्या 661-664, 2020 की सिविल अपील संख्या 661-664, 2020 की सिविल अपील संख्या 665, 24-1-2020 को और राजस्थान राज्य बनाम थावरा राम, 2019 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 12884 पर 24-1-2020 को सुनाए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।

15. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण के पास उनके लिए नए सिरे से पीईटी आयोजित करने का कोई वैध आधार नहीं है।

16. उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि भर्ती की योजना के अनुसार केवल वे उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य हैं जिन्होंने पीईटी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं। वर्तमान अपीलार्थीगण ने पीईटी में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए हैं। इसलिए, कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद भी, वे नियमों के अनुसार चयन के लिए पात्र नहीं हैं। यदि वर्तमान अपीलार्थीगण को पीईटी के लिए एक और मौका दिया जाता है, तो यह अन्य उम्मीदवारों के साथ गंभीर अन्याय और भेदभाव होगा, जिन्होंने अपीलार्थीगण की तुलना में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और जो पीईटी अर्हता प्राप्त नहीं कर सके।

17. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में, पीईटी की तारीख और समय इतना तय किया गया था कि उम्मीदवार समय पर पीईटी के गंतव्य तक पहुंचने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी अजीब परिस्थितियों में, पीईटी के लिए उम्मीदवारों को एक अवसर दिया गया था, लेकिन, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस मामले में, अपीलार्थीगण ने पीईटी में भाग लिया है लेकिन असफल रहे हैं और अब अपीलार्थीगण को एक और अवसर प्रदान करने का कोई उचित आधार नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त उद्धृत निर्णय इन मामलों से काफी अलग होने के कारण अपीलार्थीगण की मदद नहीं करते हैं।

18. अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पीईटी का क्षेत्र कीचड़ भरा होने के कारण, अपीलार्थी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके, इसलिए, पीईटी को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

19. उपरोक्त विवाद अपीलार्थीगण द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत है। एक तरफ, वे पीईटी अर्हता प्राप्त करने का दावा करते हैं, और साथ ही, वे मैदान के मैला होने की स्थिति पर आपत्ति जता रहे हैं। अपीलार्थीगण सहित सभी उम्मीदवारों ने पीईटी के समय कोई आपत्ति नहीं उठाई। इस प्रकार, क्षेत्र की स्थिति के बारे में आपत्ति भी बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

20. उपर्युक्त चर्चा और बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि माननीय एकलपीठ ने दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत न्यायिक निर्णयों के आलोक में मामले के सभी पहलुओं पर सही विचार किया है। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, वर्तमान विशेष अपीलों को अपास्त किया जाता है।

(सतीश कुमार शर्मा), न्यायमूर्ति **(इंद्रजीत महंती), मुख्य न्यायाधीश**

A m/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।